GST: 23AAAAj0485D1
PAN: AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO. 9001 : 2015 & 22000: 2005

+91 9406 900 500
+91 8305 225 339
www.sanchijabalpur.com
jdssanchi@gmail.com
करौंदा-इमलिया,कटनी रोड,
आधारताल,जबलपुर 482004 (म.प्र.)

क्रमांक / /जे.एस.डी.एस./क्षेसं/टे.नं. 69/10/2024 जबलपुर, दिनांक–

क्षेत्र भ्रमण एवं विपणन कार्य हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर अन्तर्गत जिला छिंदवाड़ा क्षेत्र के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण एवं विपणन कार्य हेतु दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 30.09.2025 की अवधि के लिए आनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहन की स्थिति संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। वाहन मॉडल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए।

क्र.	दुग्ध संयंत्र का नाम जिसके लिए वाहन/समकक्ष वाहन की आवश्कता है	निविदा प्रकाशन विवरण	ई निविदा प्रपत्र क्रय प्रारंभ दिनांक/समय	ई निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक/समय	ई निविदा अंतर्गत अनुबंध अवधि	ई निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक/समय	तकनीकी ई निविदा खोलने का दिनांक/समय एवं स्थान
1	दुग्ध संयंत्र छिंदवाड़ा	प्रथम ई निविदा	14.08.2024 03:00 PM	03.09.2024 03:00 PM	दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025	04.09.2024 03:00 PM	05.09.2024 03:00 PM जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर

वाहन हेतु निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्तें/नियम) जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर की वेबसाईट www.sanchijabalpur.com तथा एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखी जा सकती हैं। विस्तृत निविदा प्रपत्र ऑनलाईन रू. 500/– जमा कर www.mptenders.gov.in से क्रय किये जा सकते हैं। ईएमडी राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार) उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत तथा बिना ईएमडी कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। समस्त निविदायें या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
पंजी.क्र. 183
दि. 21.7.83
जबलपुर मर्यादित

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/–

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्यः–

1 जबलपुर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के जिला छिंदवाड़ा के ग्रामों में भ्रमण एवं विपणन कार्य हेतु एक वर्ष के लिए बोलरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा। माह में न्यूनतम 2,000 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

ई निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	:	दिनांक 14.08.2024/03:00 PM
ई निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	:	दिनांक 03.09.2024/03:00 PM
ई निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	:	दिनांक 04.09.2024/03:00 PM
ई निविदा तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक एवं समय	:	दिनांक 05.09.2024/03:00 PM
ई निविदा खोले जाने का स्थान	:	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर

पत्राचार हेतु पता :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर

ANNEXURE – I	A : निविदा शर्त (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE – II	A : अनुबंध पत्र (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE – III	A : फार्म – A (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE – IV	A : भाव पत्र (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
पंजी.क्र.193
दि. 21.7.83
जबलपुर मर्यादित

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर

ANNEXURE – I

1 बोलेरो / जीप / समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।

2 वाहन प्रथमतः एक वर्ष हेतु चलाई जावेगी, आवश्यकता पड़ने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तों पर की जा सकेगी।

3 वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किए जावेंगे।

4 वाहन मालिक को ई–निविदा भरने के पूर्व रू. 10,000/– वाहन धरोहर राशि के रूप में MP Tenders को आनलाईन जमा करने होंगे।

5 वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास वैधानिक ड्रायविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालन को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

6 वाहन में समस्त वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, परमिट, चालक का ड्राईविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होगें। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।

7 जीप वाहन टेक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।

8 निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 03 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।

9 वाहन माह न्यूनतम 2,000 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम के आधार पर भुगतान देय होगा।

10 वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता / अधिकारी / कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होगें।

11 वाहन में लगने वाले डीजल / ऑईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

12 वाहन का देयक आगामी माह की 03 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।

13 प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

14 देयक से कटौत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अंत में प्रदान किया जावेगा।

15 वाहन मालिक को कार्य आदेश के पश्चात रू. 1,000/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड अनुबंध करना होगा।

16 वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि / कमी होने पर जीप का औसत 12 कि.मी. प्रति लीटर के आधार पर दरों में वृद्धि / कमी उसी दिनांक से की जावेगी।

17 वाहन के टोल–टेक्स रसीद की लॉग बुक में इन्ट्री कर उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात देयक के साथ प्रस्तुत करने पर संघ से भुगतान किया जावेगा।

18 वाहन मालिक द्वारा किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1,000/– की दर से पेनल्टी की जावेगी।

19 यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व वाहन संचालन बंद किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समय पूर्व वाहन बंद किया जा सकेगा।

20 निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 20,000/- संघ में जमा करना अनिवार्य होगें, जो वाहन बंद होने के पश्चात बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

21 कोई घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर एवं बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध

अनुबंधकर्ता का फोटो

1,000/– रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाए।

//अनुबंध पत्र//

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ....को निष्पादित किया गया जिसका द्वितीय पक्ष (निविदाकार/निविदाकार संस्था) श्री/श्रीमति ....निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमति ....हैं एवं प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के कार्यक्षेत्र एवं छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय पक्षकार के जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार जिसका पंजीयन क्र. .... है, से प्रथम पक्षकार (जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं प्रथम पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन दर रू. ....(अक्षरी रू. ....) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो के सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्षों को मान्य होगी। जिले के मार्गों पर यदि टोल टेक्स लगता है अथवा बाद में प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदें प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा परिवहन देयक के साथ भुगतान किया जावेगा।

(1) यह ठेका अवधि दिनांक ....से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगी।

(2) इन शर्तों को जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहां–जहां संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर माना जावेगा

(3) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए द्वितीय पक्ष जवाबदार होगा। ईंधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।

(4) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।

(5) वाहन चालक के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।

(6) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टों में द्वितीय पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर मर्यादित

(7) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमति/कु. ....संबंध .... उम्र........................पूर्ण होशोंहवास में में नामांकित घोषित करता हूं। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमति/कु. ....को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से देगा।

(8) द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के मध्य भेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया जावेगा, वह दोनों पक्ष को मान्य होगा।

(9) संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/सगे भाई–बहन नहीं हैं, यह कथन द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जॉच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

(10) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेंगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 12 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।

(11) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर द्वितीय पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को ही रखना होगा।

(12) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस में स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की स्वसत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

(13) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति जमानत पेटे संघ में कुल रू. 20,000/– प्रति वाहन जमा कराने होंगे, जो अनुबन्ध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(14) द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे, जिसमें अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।

(15) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन करने या कार्य असंतोषजनक करते रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा वह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ले, इसके अतिरिक्त इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली जा सकेगी।

(16) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे।

(17) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

(18) वाहन माह न्यूनतम 2000 किमी चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर प्रस्तुत दर अनुसार कि. मी. का भुगतान देय होगा।

(19) वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।

(20) वाहन में लगने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

(21) वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।

(22) देयक से कटौत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
पंजी.क्र.183
दि. 21.7.83
जबलपुर मर्यादित

(23) वाहन मालिक द्वारा किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1,000/– की दर से पेनल्टी की जावेगी।

(24) यदि वाहन मालिक द्वारा समय पूर्व वाहन संचालन बंद किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बंद किया जा सकेगा।

(25) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 20,000/– प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होगें।

(26) निविदाकार अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को दूध के निजी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होना चाहिए, जिस हेतु निविदाकार को रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(27) यदि दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार के वाद अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निराकरण आबिट्रेशन एक्ट के तहत प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल के माध्यम से किया जावेगा एवं उनका निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(28) किसी भी विवाद की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।

प्रथम पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....
दूरभाष क्र. ....
मोबाईल नम्बर ....

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ....

(1) नाम ....
पता ....
मो.नं. ....
आई.डी.प्रूफ़ ....

(2) नाम ....
पता ....
मो.नं. ....
आई.डी.प्रूफ़ ....

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ....

(1) नाम ....
पता ....
मो.नं. ....
आई.डी.प्रूफ़ ....

(2) नाम ....
पता ....
मो.नं. ....
आई.डी.प्रूफ़ ....

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर मर्यादित

ANNEXURE – III

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु निविदा पत्र

फार्म–A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

विषयः–जिला छिंदवाड़ा में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन लगाने बावद्।

महोदय,

.... समाचार पत्र में प्रकाशित **ई–निविदा–सूचना** अनुसार दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्तें मान्य है। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

1. वाहन ठेकेदार का नाम/निविदाकार संस्था का नाम ....
   पिता का नाम ....
   वारिस का नाम .... उम्र ....सम्बन्ध ....
   पूरा पता ....
   मोबाईल नम्बर 1 .... 2 ....
2. निविदा धरोहर प्रति वाहन रू. 10,000/– (दस हजार रूपये केवल) MP Tenders को ऑनलाईन जमा कर रिफ्रेंश नम्बर .... संलग्न है।
3. वाहन क्र. .... वाहन का प्रकार ....
   वाहन की सवारी क्षमता .... माडल वर्ष ....
4. जिले का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) ....
5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर ....
6. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पड़ने पर मैं समान दर एवं समान शर्तों पर अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

टीपः– इस फार्म **A** को पूर्ण रूप से भरकर **MP Tenders** को जमा राशि का रिफ्रेंश नम्बर, वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति Online ई–निविदा में जमा करें अन्यथा प्रस्तुत ई–निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर

ANNEXURE-IV (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/–

बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु भाव पत्र

निविदा दिनांक से एक वर्ष हेतु

निविदाकार का नाम ....

क्र.	जिले का नाम	वाहन का प्रकार (वर्ष 2020 एवं उसके बाद का मॉडल)	न्यूनतम 2,000 कि.मी. प्रतिमाह हेतु प्रति कि.मी. दर रूपये
1	छिंदवाड़ा	बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन	

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर मर्यादित
पंजी.क्र.183
दि.21.7.83

शपथ–पत्र (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..निवासी..जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र .... के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण एवं विपणन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दूध के निजी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आबंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा, उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

हस्ताक्षर..

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
पंजी.क्र.183
दि.21.7.83
जबलपुर मर्यादित

शपथ–पत्र (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं...निवासी..जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र .... के दुग्ध समिति ग्रामों में भ्रमण एवं विपणन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा की दरें दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत की जाती है तो मैं एक माह की अवधि में निविदा की शर्तों अनुसार नवीन वाहन अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध करा दूंगा।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आबंटित कार्य, अनुबंध निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा, उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम..

पता..

....

हस्ताक्षर...

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर मर्यादित
पंजी.क्र.183
दि.21.7.83